न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–231/2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम सुजीत कुमार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
04/03/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–819/म0नि0को0 दिनांक–27.08.2019 तथा पत्रांक–820/म0नि0को0 दिनांक–27.08.2019 से प्राप्त बहेड़ा थाना कांड सं0–484/18 दिनांक 06.11.18 में क्रमशः जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR07AA-0562 एवं जमीन को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षियों को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी सुजीत कुमार की ओर से प्रत्युत्तर प्राप्त है तथा जब्त जमीन के रैयत रामफल लालदेव को नोटिस का तामिला अप्राप्त है। इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–19015/19 पवन मुखिया बनाम बिहार सरकार में दिनांक 16.12.2019 को पारित आदेश की प्रति विपक्षी द्वारा दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम माधोपुर में सुजीत लाल देव अपने घर में अवैध शराब रखकर बेचते हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सशस्त्र बल के साथ सुजीत कुमार लालदेव के घर पहुँचा तथा छापामारी एवं तलाशी हेतु दो स्वतंत्र साक्षी की खोजबीन की गयी परन्तु कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुए तब छापामारी दल के दो सदस्यों को साक्षी मानकर घर को चारों तरफ से घेराबन्दी कर छापामारी एवं तलाशी किया गया तो सुजीत लाल देव के घर के दक्षिण–पश्चिम कमरा के पलंग के नीचे प्लास्टिक के तीन बोरा में Royal Stag कम्पनी का 375*ml* का 75 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ तथा स्लोक कुमार देव के घर के उत्तर–पश्चिम कमरा में पलंग के नीचे प्लास्टि के तीन बोरा में Royal Stag कम्पनी का 375*ml* का 70 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ तथा बजाज कम्पनी का डिस्कवर मोटरसाईकिल BR07AA-0562 के तलाशी के क्रम में डिक्की से Royal Stag कम्पनी का 375*ml* का 05 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। इस प्रकार बरामद शराब तथा मोटरसाईकिल को विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन अथवा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी सुजीत कुमार की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि जब्त वाहन के विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–19015/19 दायर किया गया था। वर्तमान में उक्त वाद में दिनांक 16.12.2019 को आदेश पारित किया जा चुका है, जिसकी सच्ची प्रतिलिपि संलग्न है। अतः अनुरोध है कि वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के घर से भाड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुआ है। साथ ही घर के दरवाजा पर लगे बजाज मोटरसाईकिल BR07AA-0562 से भी 375*ml* का 05 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ है। जिसे पुलिस द्वारा बरामद सभी शराब के साथ विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(ध) के तहत उक्त वाहन का उपयोग घर में अवैध शराब का भंडारण के उपरान्त खुदरा रूप में चौर्य व्यापार की नीयत से परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य	

व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकन से यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि मूल वाहन स्वामी पवन मुखिया, पिता–शिवजी मुखिया, ग्राम–माधोपुर, पो0–बाथो, थाना–बहेड़ा, जिला–दरभंगा द्वारा उक्त वाहन सुजीत कुमार देव, पिता–श्याम लाल देव, ग्राम–माधोपुर के हाथ दिनांक 24.06.2017 को बेच दिये, उसके बाद बजाज फाईनेंस का शेष किस्त सुजीत कुमार लालदेव के द्वारा चुकाया गया। इसी क्रम में विपक्षी सुजीत कुमार देव की ओर से सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–19015/19 पवन मुखिया बनाम बिहार सरकार में दिनांक 16.12.2019 में पारित आदेश की प्रति दाखिल किया गया। उक्त के आलोक में पवन मुखिया की ओर से किसी प्रकार का साक्ष्य अथवा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है।

विपक्षी सुजीत कुमार देव की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का सुनवाई के क्रम में यह भी कथन है कि विपक्षी द्वारा पवन मुखिया से उक्त जब्त वाहन बिक्री नामा का कागज बनाकर क्रय किया था। उक्त वाहन बजाज फाईनेन्स से किस्त पर पवन मुखिया द्वारा क्रय किया गया था, जिसका शेष किस्त विपक्षी सुजीत कुमार देव द्वारा भुगतान किया गया है। वाहन का स्थानान्तरण विपक्षी सुजीत कुमार देव के नाम से अभी तक नहीं हो पाया है, जिस कारण पूर्व वाहन स्वामी पवन मुखिया की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 19015/19 दायर किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय पटना के सी0डब्लू0से0सी0 नं0–19015/19 में दिनांक 16.12.2019 को आदेश पारित है कि अगर उक्त थाना कांड में जब्त वाहन के राज्यासात् की कार्रवाई प्रारंभ है तो आदेश की प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर वाद की कार्रवाई पूर्ण की जाय।

विपक्षी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा वाहन विमुक्ति हेतु अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में बहेड़ा थाना कांड सं0–484/18 दिनांक 06.11.18 में जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR07AA-0562 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा